



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज खान

Kadar Nawaz Khan

कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/AT (AC)/2015/185

दिनांक: 05/05/2017

कार्यालय आदेश

विद्या-परिषद की दिनांक 29.04.2017 को हुई 26^{वीं} बैठक में मद संख्या 04 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से अगले अकादमिक सत्र से विश्वविद्यालय में निम्नांकित स्नातक (सामान्य एवं ऑनर्स) पाठ्यक्रम आरंभ किया जाएगा-

पाठ्यक्रम का नाम	विद्यापीठ का	विभाग का नाम
बी.ए. भाषाविज्ञान (सामान्य)	भाषा विद्यापीठ	भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
बी.ए. भाषाविज्ञान (ऑनर्स)		
बी.ए. हिंदी (सामान्य)	साहित्य विद्यापीठ	हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
बी.ए. हिंदी (ऑनर्स)		
बी.ए. संस्कृत (सामान्य)		संस्कृत साहित्य विभाग
बी.ए. संस्कृत (ऑनर्स)		
बी.ए. अंग्रेजी (सामान्य)		अंग्रेजी साहित्य विभाग
बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स)		
बी.ए. उर्दू (सामान्य)		उर्दू साहित्य विभाग
बी.ए. उर्दू (ऑनर्स)		
बी.ए. पत्रकारिता एवं जनसंचार (ऑनर्स)	मानविकी एवं समाज विज्ञान विद्यापीठ	जनसंचार विभाग
बैचलर इन जर्नलिज्म (एक वर्षीय)*		मानवविज्ञान विभाग
बी.ए. मानवविज्ञान (सामान्य)		
बी.ए. मानवविज्ञान (ऑनर्स)**	प्रबंधन विद्यापीठ	वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
बीबीए		
बी.कॉम (ऑनर्स)	शिक्षा विद्यापीठ	मनोविज्ञान विभाग
बी.ए. मनोविज्ञान (सामान्य)		
बी.ए. मनोविज्ञान (ऑनर्स)		

* प्रवेश हेतु पात्रता सुनिश्चित की जाए। ** बी.ए. मानवविज्ञान (सामान्य) पाठ्यक्रम सफल होने पर ही इसे आरंभ किया जाएगा।

संबंधित सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि भविष्य में स्नातक स्तरीय समस्त पाठ्यक्रमों को Programme of Under Graduate Studies के अंतर्गत चलाया जाए। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन-अध्यापन हेतु अंतर विभागीय स्तर पर शिक्षकों का सहयोग प्राप्त किया जाए। बी.ए. (सामान्य तथा ऑनर्स) के साथ पढ़ाए जाने वाले ऐच्छिक विषयों के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक परस्पर चर्चा कर निर्णय लेंगे।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं प्रभारी।
4. सहायक कुलसचिव (परिषद्) को विद्या-परिषद की अगली बैठक की कार्रवाई के लिए।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल।

कादर नवाज
 (कादर नवाज खान)

05/05/17